

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, 171, पुराना मम्फोर्डगंज, इलाहाबाद-211002

संख्या-46097/दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/2018-19 दिनांक मार्च 17,2018
विज्ञापित

इस कार्यालय की विज्ञापित संख्या 38628/ दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/2018-19 दिनांक 03-02-2018 के प्रस्तर (14) में प्रदेश की देशी शराब, विदेशी मदिरा, वियर की फुटकर दुकानों व मॉडल शाप्स तथा थोक अनुज्ञापनों के वर्ष 2018-19 में व्यवस्थापन हेतु दी गयी समय-सारणी को इस कार्यालय की विज्ञापित संख्या-43211/दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/2018-19 दिनांक 01.03.2018 द्वारा आंशिक संशोधित किया गया था तथा विज्ञापित संख्या 45560 /दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/2018-19 दिनांक 15.03.2018 के द्वारा अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया गया था। इसके अतिरिक्त भाग की फुटकर दुकानों की नीलामी हेतु विज्ञापित संख्या-43542 /दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/2018-19 दिनांक 05.03.2018 द्वारा दिनांक 19.03.2018 की तिथि निर्धारित की गयी थी। शासन के पत्र संख्या-1149 ई-2/तेरह-2018-46/2017 दिनांक 17.03.2018 द्वारा प्रथम चरण की ई-लाटरी का कार्यक्रम दिनांक 19.03.2018 को पूर्वान्ह 09:00 बजे से मण्डलवार निर्धारित किया गया है। अतः एतद्वारा तदनुसार समय-सारणी को निम्नवत् पुनर्निर्धारित किया जाता है:-

क्र०	प्रथम चरण (मण्डलवार)	निर्धारित तिथि (19.03.2018)
1.	लखनऊ, झाँसी, चित्रकूटधाम।	पूर्वान्ह 09:00 बजे से 11:30 बजे तक
2.	आगरा, इलाहाबाद, सहारनपुर।	पूर्वान्ह 11:30 बजे से 01:00 बजे तक
3.	कानपुर, देवीपाटन, अलीगढ़।	अपरान्ह 01:00 बजे से 02:30 बजे तक
4.	फैजाबाद, बरेली, बस्ती।	अपरान्ह 02:30 बजे से 04:00 बजे तक
5.	गोरखपुर, आजमगढ़, मिर्जापुर।	अपरान्ह 04:00 बजे से 05:30 बजे तक
6.	मेरठ, मुरादाबाद, वाराणसी।	अपरान्ह 05:30 बजे से 07:00 बजे तक

क्र०	द्वितीय चरण (समस्त जनपदों में)	निर्धारित तिथि
1.	उपरोक्तानुसार प्रथम चरण की ई-लाटरी के पश्चात् अवशेष देशी/विदेशी मदिरा, वीयर की दुकानों एवं मॉडल शाप्स हेतु निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा/निर्धारित लाइसेंस फीस पर व्यवस्थापन ई-लाटरी प्रक्रिया से आवेदन पत्र की मांग कर किया जायेगा। ऐसी दुकानों के संबंध में देशी शराब के प्रकरण में प्रास्थिति, न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा, तद आधारित बेसिक लाइसेंस फीस, लाइसेंस फीस, धरोहर धनराशि व प्रतिभूति धनराशि तथा विदेशी मदिरा, वीयर की दुकानों एवं मॉडल शाप्स के संबंध में लाइसेंस फीस, धरोहर धनराशि व प्रतिभूति धनराशि को अंकित करते हुए ऑनलाइन आवेदन मांगने एवं ई-लाटरी हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अवधि दिनांक 21.03.2018 को प्रातः 10:00 बजे से प्रारम्भ कर दिनांक 23.03.2018 को अपरान्ह 19:00 बजे तक और ई-लाटरी दिनांक 26.03.2018 को प्रातः 09:00 बजे होने का उल्लेख करते हुये विज्ञापित का समाचार पत्रों में प्रकाशन तथा विभागीय व जनपद की वेबसाइट पर उनका प्रदर्शन।	21.03.2018
2.	द्वितीय चरण में ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि एवं समय	दिनांक 23.03.2018 को अपरान्ह 19:00 बजे तक

3.	आवेदनों का परीक्षण	24.03.2018 से 25.03.2018 तक
4.	ई-लॉटरी की तिथि/समय	26.03.2018 को प्रातः 09:00 बजे से

भाग की फुटकर दुकानों की नीलामी हेतु समय-सारणी:-

क्र०	विवरण	तिथि
1.	प्रदेश के समस्त जनपदों में भाग की फुटकर दुकानों की नीलामी की तिथि एवं समय	21.03.2018 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से
2.	प्रथम नीलामी के बाद यदि दुकानें व्यवस्थित होने से शेष रह जाती हैं, तो उनका नीलामी द्वारा व्यवस्थापन	जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित तिथि एवं समय के अनुसार

थोक अनुज्ञापन:-

क्रमांक	विवरण	तिथि
1.	थोक अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन के द्वितीय चरण में देशी मदिरा की थोक आपूर्ति के अनुज्ञापन (सी०एल०-२), विदेशी मदिरा की थोक आपूर्ति के अनुज्ञापन (एफ०एल०-२), बियर की थोक आपूर्ति के अनुज्ञापन (एफ०एल०-२बी) व एफ०एल०-२डी (अन्य देशों से आयातित मदिरा, वाइन, बियर की उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु अनुज्ञापन) प्राप्त करने हेतु वेब पोर्टल upexciseelottery@gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जाना।	21.03.2018 को प्रातः 10:00 बजे से

बॉन्ड अनुज्ञापन:-

क्रमांक	विवरण	तिथि
1.	बॉन्ड अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन के प्रथम चरण में बी०डब्लू०एफ०एल०-२ए (अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित विदेशी मदिरा की उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु अनुज्ञापन), बी०डब्लू०एफ०एल०-२बी (अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित बियर की उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु अनुज्ञापन), बी०डब्लू०एफ०एल०-२सी (अन्य राज्यों में उत्पादित वाइन की उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु अनुज्ञापन), बी०डब्लू०एफ०एल०-२डी (अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित एल०ए०बी० की उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु अनुज्ञापन) प्राप्त करने हेतु समस्त संगत अभिलेखों/लाइसेंस फीस व प्रतिभूति के बैंक ड्राफ्टों के साथ कार्यालय आवकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद में आवेदन प्रस्तुत किया जाना।	21.03.2018 को प्रातः 10:00 बजे से

शेष नियम व शर्तें यथावत रहेंगीं। इसके अतिरिक्त अधिक जानकारी के लिए जनपद के जिला आवकारी अधिकारी अथवा क्षेत्रीय आवकारी निरीक्षकों से संपर्क किया जा सकता है।

(धीरज साहू)
आवकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश